भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2208
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

डिजिटल नोटरी प्रमाणपत्रों को जारी करना और उनका नवीकरण किया जाना

2208 श्री अयोध्या रामी रेड्डी आलाः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा नोटरी-प्रमाणपत्रों को जारी करने और उनके नवीकरण को सुव्यवस्थित करने हेतु विधि कार्य विभाग की डिजिटल अवसंरचनात्मक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ;

(ख) क्या ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग करना आरंभ कर दिया गया है ; और

(ग) क्या नोटरी सत्यापन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर संबंधी सुविधाएँ शुरू करने की कोई योजना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : वर्ष 2016 से पूर्व, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से केन्द्रीय पब्लिक नोटरियों की नियुक्ति के लिए नोटरी आवेदन ऑफलाइन मोड के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे । 2016 से नोटरी आवेदन एनआईसी द्वारा मॉनिटर्ड पोर्टल 'सर्विस प्लस' पर ऑनलाइन मोड साथ ही ऑफलाइन मोड के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं । वर्ष 2019 से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से भेजे गए आवेदन ही स्वीकृत किए गए हैं ।

वर्ष 2019 में एनआईसी द्वारा विकसित एक साफ्टवेयर (द्विभाषी प्ररूप में स्वत: सृजित व्यवसाय प्रमाणपत्र हेतु मोड्यूल) की सहायता से नोटरी सैल ने लगभग 9000 स्वत: सृजित व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किए थे ।

नोटरी (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा नवीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है । तथापि, कोविड – 19 महामारी और अन्य तकनीकी मुद्दों के कारण इसे परिचालित नहीं किया जा सका ।

अब नोटरी सैल एनआईसी के साथ परामर्श से नोटरी सैल के लिए अनन्य रूप से नए वेब पोर्टल पर कार्य कर रही है जिसमें व्यवसाय प्रमाणपत्र के जारी करने/नवीकरण प्रक्रिया का अंकीकरण किया जाएगा । आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की विशेषता सहित उपयोक्ता अनुकूलन सुविधाओं पर भी खोज की जा रही है ।

(ग) : वर्तमान में नोटरी सत्यापन के लिए अंकीय हस्ताक्षर की सुविधा पुर:स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****